[2023] 3 एस. सी. आर 782

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

गुना महतो

बनाम

झारखंड राज्य

(2012 की आपराधिक अपील सं. 108)

/

16 मार्च, 2023

**[**बी**.** आर**.** गवई और संजय करोल**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:धारा 302, 201 – हत्या-अभियोजन का मामला कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सबूत गायब करने के लिए उसके शव को कुएं में फेंक दिया और बाद में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।302 और 201 निम्न न्यायालयों द्वारा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःजांच अधिकारी की गैर-जांच ने, उपस्थित परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बना दिया है यदि गलत नहीं है-अपराध यू/एस।201 उसकी जाँच के बिना साबित नहीं किया जा सकता था-अदालतें संभावित रूप से आरोपी के अपराध की अर्जित धारणा के साथ आगे बढ़ीं क्योंकि उसे अंत में मृतक के साथ देखा गया था, और एक झूठी रिपोर्ट दर्ज की, यह भूलते हुए कि मृतक के पिता के संस्करण के अनुसार, आरोपी के पिता ने खुद उसे अपनी लापता बेटी के बारे में घटना से कम से कम दो दिन पहले सूचित किया था-संदेह और संदेह आरोपी के अपराध का आधार नहीं बन सकते हैं-आरोपी को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियां बिल्कुल भी साबित नहीं होती हैं, बहुत कम उचित संदेह से परे-कोई सबूत नहीं है-नेत्रहीन, परिस्थितिजन्य या अन्यथा, जो आरोपी के अपराध को स्थापित कर सकता है-आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले किसी भी तथ्य की खोज नहीं हुई है।

/

/

/

/

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी 116:[1985] 1 एससीआर 88; वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 765;

/

शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2021) 1** एस**.** सी**.** सी**. 596;** पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2022) 10** एस**.** सी**.** सी**. 321;** हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एम**.** पी**.** राज्य। **(1952) 2** एस**.** सी**.** सी**. 71;** रामफुपाला रेड्डी बनाम।

/

782 ए.

783

गुना महतो बनाम झारखंड राज्य ए

आंध्र प्रदेश राज्य (1970) 3 एस. सी. सी. 474; बालक राम

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 219:[1975] 1 एससीआर 753;

भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य **(1983) 3** एससीसी

**217 :[1983] 3** एस**.** सी**.** आर**. 280-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

**[1985] 1** एससीआर **88**

संदर्भित

पैरा **7**

**(2021) 1** एस**.** सी**.** सी**. 596**

संदर्भित

पैरा **16**

**(2022) 10** एस**.** सी**.** सी**. 321**

संदर्भित

पैरा **16**

**(1952) 2** एस**.** सी**.** सी **71**

संदर्भित

पैरा **17**

/

**(1970) 3** एस**.** सी**.** सी**. 474**

संदर्भित

पैरा **18**

**[1975] 1** एससीआर **753**

संदर्भित

पैरा **18**

**[1983] 3** एससीआर **280**

संदर्भित

पैरा **18**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2012 की आपराधिक अपील सं. 108।

/

2001 के सी. आर. एल. ए. सं. 214 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 23.07.2004 के निर्णय और आदेश से।

वीर पाल सिंह, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।गोपाल प्रसाद, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय करोल**,** जे।

1. वर्तमान आपराधिक अपील अपीलार्थी गुना महतो द्वारा दायर की गई है, जिसे अपनी पत्नी श्रीमती की हत्या का दोषी पाया गया है। एल. डी. द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के अंतर्गत देवमतिया देवी। विचारण विचारण न्यायालय , डाल्टनगंज ने 1989 के सत्र विचारण प्रकरण सं. 50 में राज्य बनाम राज्य शीर्षक दिया। गुना महतो ने 10.05.2001 के फैसले का वीडियो बनाया।एल. डी. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता

की धारा 222 के अंतर्गत  आजीवन कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत  दंडनीय अपराध के संबंध में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

/

/

2. अपील पर, झारखंड के उच्च न्यायालय  द्वारा 2001 की आपराधिक अपील संख्या 214 में दिए गए आक्षेपित  निर्णय  में, जिसका शीर्षक गुना महतो बनाम झारखंड राज्य है और एल. डी. द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के संबंध में निष्कर्ष। विचारण न्यायालय  की पुष्टि की गई थी,

/

784

/

[2023] 3 एस सी आर।

यह देखने के बावजूद कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई थी।जो भी हो, उच्च न्यायालय  ने पूरी तरह से बनाउधी महतो (पीडब्लू-2), समोधी यादव (पीडब्लू-9) और नंदीश यादव (पीडब्लू-10) के नेत्र साक्ष्य पर भरोसा किया।

3. इसलिए अपीलार्थी गुना महतो द्वारा दायर वर्तमान अपील।4. अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और उसके बाद अपराध से संबंधित सबूतों को गायब करने के इरादे से उसके शव को गांव के कुएं में फेंक दिया था।बाद में, आरोपी ने एक झूठी कहानी गढ़कर अशुद्ध हाथों से पुलिस से संपर्क किया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के 'लापता' होने की सूचना दी।

/

/

5. आई. डी. 2 को मृतक का शव गांव के कुएं में मिला, जिसके बाद मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया गया और पी. एस. मामला संख्या आई. डी. 3 (आई. डी. 1) मनिका पुलिस स्टेशन, झारखंड में दर्ज किया गया।तदनुसार, जाँच की गई और मुकदमे के लिए न्यायालय  के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया।अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से मुरारी राम (पीडब्लू -1), मिट्ठू पी. डी. साहू (पीडब्लू -4), मुसाफिर यादव (पीडब्लू-5), मुन्नी मिस्त्री (पीडब्लू-5)6), चित्तरंजन पांडे (पीडब्लू-8) और सुखरू महतो (पीडब्लू-7) केवल औपचारिक प्रकृति के हैं।हम पाते हैं कि जब स्वतंत्र रूप से या सामूहिक रूप से भी विचार किया जाता है, तो उनकी गवाही अभियुक्त के अपराध की ओर कुछ भी इंगित नहीं करती है।

/

/

6. इससे पहले कि हम मामले के गुण-दोष पर विचार करें, हम इस स्तर पर उन तथ्यों को बताना उचित समझते हैं जो विवाद में नहीं हैंः(क) मृतक की पहचान, (ख) गाँव के कुएँ से बरामद मृतक का शव, (ग) डॉ. नरेंद्र कुमार मिसर (पीडब्लू-3) द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जिसमें मृत्यु का कारण रक्तस्राव और मृतक की गर्दन पर चोटों के साथ सदमा बताया गया है।7. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इर्द-गिर्द घूमने वाले मामले में, अभियोजन पक्ष को आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए और जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें केवल एक परिकल्पना की ओर इशारा करना चाहिए, यानी केवल आरोपी का अपराध और कोई और नहीं।विभिन्न अवसरों पर, इस न्यायालय  ने कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।में

/

/

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य का ऐतिहासिक मामला,

**(1984) 4** एस**.** सी**.** सी**. 116** का आयोजन इस प्रकार किया गया हैः

/

785

गुना महतो बनाम झारखंड राज्य [संजय करोल, जे.] ए.

/

“153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

/

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय  ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं।जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 793 में कहा था, "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई)

1033:1973 सी. आर. एल. एल. जे. 1783] जहाँ अवलोकन किए गए थेः[एससीसी पैरा 19,पी. 807:एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.1047]

/

“निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है। "

/

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

/

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

/

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। "

8. तत्काल मामले में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई थी।हम पाते हैं कि अभियुक्त द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या के संबंध में मुकदमा चलाए जाने से बचने के लिए पुलिस को जानकारी देकर सबूत गायब करने के तथ्य से संबंधित कोई साक्ष्य, नेत्र या वृत्तचित्र नहीं है।

/

/

9. जब हम मृतक के पिता बनोधी महतो (पीडब्लू-2) की गवाही की जांच करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसने अपराध के संबंध में आरोपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है।उनका कहना है कि शव मिलने से दो दिन पहले आरोपी के पिता ने उन्हें सूचित किया था कि मृतक किसी के साथ भाग गया था।लेकिन किसके साथ?वह उल्लेख नहीं करता है।वह स्वीकार करता है कि मृतक और आरोपी एक साथ रह रहे थे और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी घर नहीं लौटी है, तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।

/

10. गाँव मारन में रहने वाले मृतक के चाचा, समोधी यादव (पीडब्लू-9), केवल यह बताते हैं कि राम बृजेश यादव (सह-ग्रामीण) ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बहू (मृतक) गाँव में रहने वाले किसी व्यक्ति यानी मारन के साथ भाग गई थी।चूंकि उन्हें इस तरह के बयान पर संदेह था, इसलिए वह मृतक के वैवाहिक घर के स्थान गांव जान्हो गए और उन्हें बताया गया कि पिछली शाम से किसी ने भी मृतक को नहीं देखा है।मृतक का शव गांव के कुएं से बरामद होने की तारीख को ही मिला था।उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया, "कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया था।"यही एकमात्र बयान था जो उसने आरोपी के खिलाफ दिया था।लेकिन इस तरह की जानकारी का उनका स्रोत क्या है, वह इसका खुलासा नहीं करते हैं।किसी भी स्थिति में इस तरह का बयान केवल सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति में होता है और इससे अधिक नहीं, जिसकी पुष्टि भी नहीं की जाती है।हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से, वह स्वीकार करता है कि आरोपी ने पहले ही पुलिस को मामले की सूचना दे दी थी और अपीलार्थी के खिलाफ मृतक के साथ दुर्व्यवहार का कोई मामला कभी दर्ज नहीं किया गया था।

/

/

/

11. पीडब्लू-2 के मामा भाई के बेटे नंदीश यादव (पीडब्लू-10) द्वारा दी गई गवाही के अवलोकन का भी अभियोजन पक्ष के मामले को आगे बढ़ाने या स्थापित करने में कोई प्रभाव नहीं है।वह केवल इतना कहता है कि, "हमें आरोपी की भूमिका पर संदेह था" क्योंकि वह उसे अक्सर पीटता था।आगे विस्तार से बताते हुए, वे कहते हैं कि इस तथ्य का खुलासा ग्रामीणों ने उन्हें किया था।हम पाते हैं कि यह कथन, सुनी-सुनाई बातों के अलावा, कथित क्रूरता के समय, स्थान और तरीके के संबंध में अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट है।इस तरह के मामलों में उसे संदेह था कि आरोपी ने मृतक की हत्या की है।विशेष रूप से, उनकी गवाही के प्रतिपरीक्षा भाग में, हम इन सभी तथ्यों को पहली बार न्यायालय  में अपदस्थ किए जाने पर ध्यान देते हैं और जैसा कि हमने पीडब्लू-9 की गवाही में देखा है कि कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की गई थी।अतः अभियोजन पक्ष का मामला अप्रमाणित है।

/

/

/

787

गुना महतो बनाम झारखंड राज्य [संजय करोल, जे.] ए.

/

12. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में, आरोपी को दोषी ठहराते हुए, पीडब्लू-9 के बयान और जांच अधिकारी के कथित बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसे प्रदर्शनी 3/1 के रूप में चिह्नित यूडी प्रदर्शनी कहा जाता है।निर्णय अंतर्गत प्रासंगिक निष्कर्ष निम्नानुसार निकाले गए हैं:"पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की मौत डूबने से नहीं हुई थी।पीडब्लू. 9 और आई. ओ. के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक लापता पाया गया था, लेकिन अगले दिन ग्रामीणों ने झागर के माध्यम से उक्त कुएं में उसके शव की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला और अगले दिन उसी कुएं में उसका शव मिला।इसलिए, इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि मृतक ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था और मृतक की मौत आत्महत्या के कारण हुई है, इसके बारे में आरोपी का फरदबेयान संभावित प्रतीत नहीं होता है। "

/

/

13. इसी तरह, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के अपराध के तथ्य पर पहुंचने के लिए मुख्य रूप से यू. डी. पर अपने निष्कर्षों को आधारित किया।न्यायालय ने आगे कहा किः

/

"चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि मृत्यु पोस्टमॉर्टम से 48 से 96 घंटे पहले हुई थी। मृतक के शव का पोस्टमार्टम 14 अगस्त, 1988 को दोपहर लगभग 3 बजे किया गया था। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, यदि गणना की जाती है, तो मृतक की मृत्यु 12 अगस्त, 1988 (लगभग 3 बजे) और 10 अगस्त, 1988 (लगभग 3 बजे) के बीच किसी समय हुई थी, इसलिए आई. ओ. को संदेह था कि मृतक की हत्या पोस्टमार्टम से कम से कम दो दिन पहले की गई थी।शव की बरामदगी की तारीख से कम से कम एक दिन पहले, उसकी हत्या कर दी गई और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया। "

/

/

14. इसी पृष्ठभूमि में जाँच अधिकारी की गैर-जाँच का महत्व प्राप्त होता है।ऐसा नहीं है कि जाँच अधिकारी उपलब्ध नहीं था या जाँच के तथ्य और तरीके को उसके सहयोगी द्वारा बयान किया

गया था जो उसी से जुड़े थे।जांच अधिकारी की गैर-जांच ने, उपस्थित परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के मामले को गलत नहीं तो संदिग्ध बना दिया है।भारतीय दंड संहिता  सी. की धारा 201 के अंतर्गत  अपराध उनकी जांच के बिना साबित नहीं हो सकता था।

/

15. निम्नलिखित न्यायालयों ने अनुमानित रूप से, अभियुक्त के अपराध की अर्जित धारणा के साथ आगे बढ़े क्योंकि उसे अंत में मृतक के साथ देखा गया था, और एक झूठी रिपोर्ट दर्ज की, यह भूलते हुए कि उसके अनुसार

/



मृतक के पिता के बयान के अनुसार, आरोपी के पिता ने घटना से कम से कम दो दिन पहले खुद उसे अपनी लापता बेटी के बारे में सूचित किया था।संदेह और संदेह अभियुक्त के अपराध का आधार नहीं बन सकते हैं।अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियाँ बिल्कुल भी साबित नहीं हुई हैं, जो उचित संदेह से परे हैं।

16. हम दोहरा सकते हैं कि संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए प्रचार की गई कहानी में केवल एक संदिग्ध वर्णक बना हुआ है।[वेंकटेश बनाम.

/

कर्नाटक राज्य**, 2022** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 765;** शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2021) 1** एस**.** सी**.** सी**. 596;** पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2022) 10** एस**.** सी**.** सी**. 321]**।बचाएँ और इसके अलावा

/

उपरोक्त में, कोई सबूत नहीं हैःनेत्र संबंधी, परिस्थितिजन्य या अन्यथा, जो अभियुक्त के अपराध को स्थापित कर सकता है।अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले अपराध से आरोपी को जोड़ने वाले किसी भी तथ्य की खोज नहीं हुई है, बहुत कम, जो उचित संदेह से परे है।

17. यह सुनिश्चित करना हमारा परम कर्तव्य है कि न्याय की विफलता से हर कीमत पर बचा जाए और आरोपी को संदेह का लाभ, यदि कोई हो, दिया जाए।

/

**[**हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(1952) 2** एस**.** सी**.** सी**. 71]**।

18. कार्यवाही के सामान्य क्रम में, यह न्यायालय  नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा प्राप्त तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करता है।यह केवल असाधारण मामलों में है जहां हम समवर्ती निष्कर्षों को बेतुका पाते हैं, जिससे न्याय का उपहास होता है, गर्भपात को ठीक करना हमारा कर्तव्य है।

/

न्याय की।**[**रामफुपाला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, (1970) 3** एस**.** सी**.** सी**. 474,** बालक राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (1975) 3** एस**.** सी**.** सी**. 219,** भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य**, (1983) 3** एस**.** सी**.** सी**. 217]**।

/

19. इसलिए, हमारे सुविचारित विचार में, निचली अदालतों ने साक्ष्य के गलत और अपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित करने में गंभीर गलती की है, जिससे अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का उपहास भी होता है।

20. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि 5 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पलामू, डाल्टनगंज द्वारा 1989 के सत्र परीक्षण मामले में पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, जैसा कि रांची में झारखंड उच्च न्यायालय  द्वारा 2001 की आपराधिक अपील में पुष्टि की गई है, जिसका शीर्षक गुना महतो बनाम झारखंड राज्य है।

/

/

789

गुना महतो बनाम झारखंड राज्य [संजय करोल, जे.]

/

21. हम नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का पालन करते हैं।चूँकि अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसका जमानत मुचलका खारिज हो जाएगा।22. अपील की अनुज्ञात  है।

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/